न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपील/एलआर /2381/2005/अलवर

1– फूलचन्द पुत्र रामकिशोर
2– रामबाबू पुत्र रामकिशोर
3– घनश्याम |
4– हीरालाल | पुत्रगण बाबूलाल
5– बनवारी |
6– श्रीमती कलावती पत्नि स्व0 श्यामलाल पुत्र बाबुलाल
7– जितेश |
8– नलकेश | पुत्रगण श्यामलाल नाबालिग जरिये संरक्षिका माता कलावती
समस्त जाति ब्राह्मण निवासी लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।

–अपीलांट्स

बनाम

1– श्रीमती दुर्गादेवी पत्नि बाबुलाल चमार
2– श्रीमती नाथी बैवा कन्नी कोली
निवासीगण ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर।
3– भू–आवंटन एवं नियमन कमेटी जरिये चैयरमैन उप जिला कलेक्टर, अलवर।
4– राजस्थान सरकार
5– बृजमोहन पुत्र चिरंजी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

–रेस्पोडेण्ट्स

एकलपीठ
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थितः–
1. श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट्स।

निर्णय

दिनांक– 30–5–2025

हस्तगत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत् राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा अपील संख्या 122/2002 में पारित निर्णय दिनांक 28–4–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स/प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोडेंट्स/अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), अलवर के समक्ष राजस्थान भू–आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत् एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ स्थित आराजी खसरा नंबर 264 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा में से रेस्पोडेंट संख्या 1 को रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 को रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का आवंटन कमेटी द्वारा किये गये आवंटन आदेश दिनांक 1–6–2002 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 9–12–2002 द्वारा अपीलांट्स/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970 को खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–2002 से व्यथित होकर अपीलांट्स/प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–4–2005 द्वारा अपीलांट्स/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–12–2002 यथावत रखा गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–20002 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– अपीलांट्स के विद्वान अभिभाषक ने बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है। उनका कथन है कि अपीलांट्स खसरा नंबर 262 के खातेदार काश्तकार दर्ज है और खसरा नंबर 264 उक्त भूमि से सटी हुई भूमि है। रेस्पोडेंट संख्या 1 को 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि आवंटित की गई है, जो स्मॉल पेच की श्रेणी में आती है और यह सुस्थापित सिद्धांत है कि स्मॉल पेच श्रेणी की भूमि केवल उस आवेदक को आवंटित या नियमित की जा सकती है, जिसकी खातेदारी की भूमि उससे सटी हुई है। उनका यह भी कथन है कि अपीलांट्स के पास संयुक्त रूप से केवल 18 बीघा बारानी भूमि थी और उनका व्यक्तिगत हिस्सा सिर्फ 4 बीघा 10 बिस्वा बारानी भूमि पर था। कानून के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार 15 बीघा बारानी भूमि पर नियमितीकरण किया जा सकता है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–4–2005 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), अलवर द्वारा

पारित आदेश दिनांक 9–12–2002 निरस्त किया जाकर अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970 को स्वीकार किया जावे।

5– रेस्पोडेंट्स के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि अपीलांट्स द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गई थी। अपीलांट्स भूमिहीन होने के कारण पात्रता नहीं रखते थे। उनके पास पूर्व से ही काफी भूमि है। इस बाबत् पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न की गई। रेस्पोडेंट अनुसूचित जाति की बैवा औरत है तथा बी.पी.एल. सदस्य है, जिसके पास परिवार को पोषण करने हेतु आय के साधन नहीं है। यदि उन्हें मात्र एक बीघा भूमि आवंटन कर दी गई है, तो अपीलांट्स के अधिकार/आजीविका पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6– हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया और पत्रावली का ध्यायपूर्वक अध्ययन किया गया।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स/प्रार्थीगण द्वारा रेस्पोडेंट्स/अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम), अलवर के समक्ष राजस्थान भू–आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के तहत् एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर ग्राम लीली तहसील लक्ष्मणगढ़ स्थित आराजी खसरा नंबर 264 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा में से रेस्पोडेंट संख्या 1 को रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 को रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का आवंटन कमेटी द्वारा किये गये आवंटन आदेश एवं नियमन निरस्तीकरण का आदेश दिनांक 1–6–2002 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया । हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र बाबत नियमन का विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 1–6–2002 इस आधार पर खारिज किया है कि अपीलाण्ट बाबूलाल व फूलचन्द के पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि है। इसलिए यह नियमन की पात्रता में नहीं आते हैं । इसलिए इनका नियमन खारिज किया है । इस संबंध में राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 में छोटी पट्टी के आवंटन का प्रावधान है, जो निम्नानुसार है–

> ‘‘Allotment of small patch:- {1} Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, small patch of Government

land may be allotted, to a tenure tenant whose tenure land adjoins such patch, subject to the ceiling area at the index price for land of a similar soil class in the neighbourhood."

उक्त के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि छोटी पट्टी के आवंटन के लिए मुख्य रूप से तीन शर्तो का होना आवश्यक है–

1. आवंटी खातेदार काश्तकार होना चाहिए।
2. आवंटित की जाने वाली भूमि उसकी खातेदारी भूमि के चिपती हुई होनी चाहिए।
3. छोटी पट्टी आवंटन के बाद भी उसके पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए।

उक्त प्रावधानों के तहत विचारण न्यायालय द्वारा सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने के कारण उसका नियमन दिनांक 1–6–2002 से खारिज किया है । उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 9–12–2002 द्वारा खारिज कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष दो अपीलें प्रस्तुत की गई जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 28–4–2005 द्वारा खारिज कर दिया ।

जहॉ तक प्रार्थना–पत्र भू–आवंटन नियम, 1970 के नियम 14 (4) के प्रार्थना–पत्र खारिज का प्रश्न है, इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 15–5–2002 को ग्राम लीली में स्थित खसरा नंबर 264 रकबा 0.56 के आवंटन हेतु एवं खसरा नंबर 264 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा के नियमन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई । इस संबंध में रेस्पोडेण्ट के नियमन संबंधी प्रार्थना–पत्र सीलिंग सीमा से भूमि अधिक होने के कारण दिनांक 1–6–2002 को खारिज किया एवं इसी क्रम में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पोडेण्ट के आवेदन पर पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन किया है। आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर यह आवंटन किया गया है एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा किसी फर्जी तथ्यों के आधार पर आवंटन प्राप्त नहीं किया गया है। किसी भी आवंटन को नियम 14 (4) के तहत तभी निरस्त किया जा सकता है, जब उसके द्वारा आवंटन की शर्ते पूरी न की गई हो। लेकिन हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो कि रेस्पोडेण्ट द्वारा आवंटन नियमों की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो। ऐसे आवंटन को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के तहत खारिज किए जाने का कोई कारण दर्शित नहीं होने से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष पारित किए है

जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है । ऐसे विधिसम्मत समवर्ती निर्णयों में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

"Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue."

अतः उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है।

8– उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य